दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल पी.ओ.
20/7/18	पत्रावली उपस्थित। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व संपठित धारा 151 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर मूल वाद खारिज किया जाता है। निर्णय प्रारूप से टंकित किया जाकर आज्ञापित पत्रावली किया जाता। पत्रावली नियमानुसार होकर नकल से काम हो तथा बाद तकमील जेरसा दाखिल हो।
	उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)
पीठासीन अधिकारी श्री विश्वामित्र मीना आ0ए0एस0

मुकदमा संख्या 306/14
दायर दिनांक 14.11.2014

निर्णय दिनांक
20/7/2018

उनवान

1. अर्जुन पुत्र बुधा जाति माली ग्राम कोटकासिम तहसील कोटकासिम (फौता)
   [1/1] मंगल
   [1/2] बलबीर
   [1/3] फूल सिंह
   [1/4] सुबे सिंह पुत्रांन अर्जून
   [1/5] लाली
   [1/6] शीला
   [1/7] सरती पुत्रीयान अर्जुन (फौत)
   [1/7/1] भरत सिंह पुत्र माता सरती
   [1/7/2] ललता
   [1/7/3] रमेश पुत्रांन माता सरती
   [1/7/4] मुकेश
   [1/7/5] बीना माता सरती जाति माली निवासी कोटकासिम हाल आबाद खरखडी जिला महेन्द्रगढ़ (हरियाणा)

—वादिया

बनाम

1. शीशराम
2. मुन्शीराम पुत्रांन मंगल जाति जाटान ग्राम कोटकासिम तहसील कोटकासिम
3. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी अधिकारी (लैण्ड होल्डर) तहसीलदार कोटकासिम तह0 कोटकासिम जिला—अलवर राज0
4. उप पंजीयक कोटकासिम

—प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11
व सपठित धारा 151 जा0दी

उपस्थितः—

1. श्री समय सिंह यादव अभिभाषक वादीगण
2. श्री सुबे सिंह यादव अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 1 व 2

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

आदेश दिनांक.....

प्रकरण का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है। वादीगण के पिता श्री अर्जुन ने दिनांक 13.11.2014 को एक वाद पत्र इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज व हुकमईम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 88, 89 एवं 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि साबिक आराजी खसरा नम्बर 679 मिन रकबा 1.17 बीघा जिसके हाल खसरा नम्बर 1288 रकबा 0.16 बीघा, 1288/2672 रकबा 0.18 बीघा वाके ग्राम कोटकासिम में स्थित है । उक्त साबिक नम्बर वादी की कब्जा काश्त एवं खातेदारी की आराजी है जिसका राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी गत सम्वत 2016 लगायत 2020 में वादी के नाम का अंकन चला आ रहा है लेकिन सेटलमैन्ट विभाग वालो ने सम्वत 2029 में गलती से उक्त साबिक नम्बर के हाल खसरा नम्बर 1288, 1288/2672 व अन्य नम्बर बनाये है जिसमें 1288 का रकबा 0.16 बीघा वादी के नाम व 1288/2672 रकबा 0.18 बीघा प्रतिवादी 1 व 2 के नाम का जमाबंदी में अंकन कर दिया जबकि खसरा नम्बर 1288/2672 को अंकन नक्शा लट्ठा में नही है तथा ना ही सम्वत 2029 से पूर्व की जमाबंदी में हो रहा है। पटवारी हल्का ने भी अपनी रिपोर्ट दिनांक 3.10.2016 में लिखा है कि ग्राम कोटकासिम की जमाबन्दी में खसरा नम्बर 1288 /2672 रकबा 0.18 बीघा बंजड शीशराम, मुन्शी पुत्रांन मंगलराम जाट खातेदार दर्ज है। नक्शा लट्ठा में दर्ज नही है ना इनका कब्जा काश्त है। जिससे स्पष्ट है कि वक्त सेटलमेन्ट सम्वत 2029 तैयार करते समय प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम सहवन से दर्ज करते हुए गत नम्बर 679 मिन रकबा 1.17 बीघा के दो नम्बर 1288 रकबा 0.16 बीघा 1288/2672 रकबा 0.18 बीघा बना दिये जो खिलाफ मौका व रिकॉर्ड आराजी 1288/2672 बनाया गया है। शेष रकबा 0.03 बीघा 1.17 बीघा का खसरा नम्बर 1285/1, 1285/2, 1285/3, 1285/4 में सामिल कर दिया गया है जो हमारे कब्जा काश्त में है। हाल आराजी खसरा नम्बर 1288/2672 रकबा 0.18 बीघा पर कब्जा काश्त मौके पर वादी का चला आर रहा है। दिनांक 12.10.2014 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने उनके नाम का गलत अंकन होने के बावजूद वादी को इस आराजी से जबरन बेदखल कर कब्जा करने व कब्जा काश्त वादी ने मजाहमत मदालखत पैदा करने, दीगर जगह बैचान आदि करने की ऐलानिया तौर पर धमकी दी है जो तारीख दावा हाजा के लिए बिनाय वादी वो बिनाय मुखासमत पैदा होकर दावा अन्दर म्याद है।

अतः हाल आराजी नम्बर 1288/2672 रकबा 0.18 बीघा ग्राम कोटकासिम का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित करार दिया जावे तथा हाल रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम का अंकन हो रहा है को कलमजन किया जाकर वादी के नाम का अंकन किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को हुकमईम्तनाई दवामी से पाबन्द किया जावे कि वह उक्त आराजी में वादी के कब्जा काश्त में मजाहमत पैदा ना करे, ना ही आराजी को जोतने, फसल बोने व काटने में काई रूकावट पैदा करे। रहन बय से मुन्तकिल ना करे राजस्व रिकॉर्ड व मौका की स्थिति यथावत कायम रखे।

प्रतिवादीगण ने वाद पत्र का जवाब प्रस्तुत कर जाहिर किया कि साबिक नम्बर 679 मिन 1.17 बीघा का कोई नम्बर ग्राम कोटकासिम में नही है। साबिक नम्बर 679 रकबा 16 बिस्वा है जिसके हाल नम्बर 1288 रकबा 16 बिस्वा है जो वादी के नाम हाल रिकॉर्ड में दर्ज है। गत जमबान्दी सम्वत 2016 से 2020 में वादी के नाम 1 बीघा 17 बिस्वा नही है बल्कि 679 मिन रकबा 1.16 बीघा जो श्योनारायण पुत्र धूमी जाट के नाम से है। वादी के नाम नही है। वादी ने अपने वाद पत्र में नितान्त गलत तथ्य अंकित किये है जो रिकॉर्ड के विपरित है। वादी का यह कथन भी गलत है कि सम्वत 2029 में कर्मचारियों की गलती से गत नम्बर 679 के हाल नम्बर 1288 व 1288/2672 बनाये है, जबकि सही तथ्य यह है कि खसरा नम्बर 1288/2672 रकबा 18 बिस्वा सिवाय चक लगानी था जिसका

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

अलोटमेन्ट जवाबदार को दिनांक 30.10.1977 को उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ बास द्वारा किया गया है। उक्त दोनो नम्बर पास पास है । नक्शा एकस पर्चा में दोनो रकबा मिलाकर एक दिखा रखा होने से जवाबदार ने एक वाद अदालत श्रीमान में मुन्शी बनाम राज0 सरकार मु0 न0 33/05 पेश किया जो बाद सुनवाई मेरिट पर दिनांक 20.07.2007 को डिक्री किया गया। वादी विवादीत आराजी नम्बर 1288/2672 रकबा 18 बिस्वा कोटकासिम का गैर काबिज गैरवास्ता है। दिनांक 12.10.2014 की कुल कहानी मिथ्या व मनघड़न्त दर्ज की गई है। वादी ने अलोटमेन्ट को निरस्त करने हेतु किसी सक्षम न्यायालय में कोई कार्यवाही नही की है, इसलिए वाद कानूनन चलने योग्य नही है तथा आदेश 7 नियम 11 जा0 दी0 के तहत काबिल खारिज है।

दिनांक 12.12.2017 को दोरान कार्यवाही प्रतिवादीगण ने अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व सपठित धारा 151 जा0दी0 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी ने अपने प्रार्थना पत्र पर अपनी आराजी खसरा नम्बर 1288 की पैमाईश दिनांक 01.10.2010 को कराई व वादी के खिलाफ प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण ने आराजी नम्बर 1288/2672 बाबत दायर किया जिसमें वादी की विधिवत तामील तारीख पेशी दिनांक 14.10.2011 के लिए हो गई थी तथा वादी ने प्रतिवादी पुत्रों के खिलाफ थाना कोटकासिम में दिनांक 14.11.2011 को रिपोर्ट दर्ज कराई व वादी के खिलाफ इसी आराजी खसरा नम्बर 1288/2672 बाबत पत्थरगढ़ी का वाद दायर किया जो डिक्री हुआ व डिक्री की इजराय वादी के समक्ष हुई जिससे वादी को राजस्व रिकॉर्ड का अमल ज्ञान भली भाति रहा है जबकि वादी अपने वाद में कॉज आफ एकसन दिनांक 12.10.2014 अंकित किया है। वादी को राजस्व रिकॉर्ड में अमल का ज्ञान शुरू से अर्थात दिनांक 01.10.2010 को पैमाईश कराई उसी समय से रहा है जबकि कानूनन ज्ञान से तीन साल के अन्दर'–अन्दर वाद ला सकता है इसलिए वादी का वाद मियाद बाहर होने के कारण काबिले खारिज है।

अतः प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकर फरमाया जाकर वादी का वाद मय हर्जा खर्चा खारिज किया जावे।

वादी ने प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर जाहिर किया कि कानूनन इश्तकरार हक के वाद की कोई लिमिटेशन नही होती है। इश्तकदारहक का वाद वादी कभी भी न्यायालय श्रीमान में ला सकता है। वादी द्वारा अपनी कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी हाल नम्बर 1288 की पैमाईश दिनांक 01.10.2010 को कराई गई थी जो साबिक नम्बर 679 रकबा 1.17 बीघा से पैमुद हुआ है। उसके वाद वादी के खिलाफ प्रतिवादी द्वारा एक वाद आराजी नम्बर 1288/2672 बाबत पत्थरगढ़ी कराने का दायर किया। आदेश के तहत प्रतिवादी द्वारा वादी की खातेदारी आराजी में पत्थर गाडे और वादी द्वारा उन्हे मना किया तब झूठे तथ्यों के आधार पर प्रतिवादी द्वारा वादी के पुत्रों के खिलाफ थाना कोटकासिम में रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 143, 427, 447 मुकदमा नम्बर 121/2011 दर्ज कराया जिसका फैसला न्यायिक अधिकारी कोटकासिम द्वारा दिनांक 04.5.2017 को करते हुए संदेह लाभ देते हुए बन्द किया गया तथा प्रतिवादी का आराजी नम्बर 1288/2672 पर कोई कब्जा नही माना गया। प्रतिवादी का खसरा नम्बर 1288/2672 राजस्व रिकॉर्ड में आम रास्ता का भाग है और आम रास्ते का अलोटमेन्ट अपने आप में गैर कानूनी है, इसके लिए वादीगण द्वारा प्रतिवादी के अलोटमेन्ट को निरस्त कराने बाबत कलक्टर, अलवर के यहां अपील कर रखी है। इश्तकरारहक के वाद के लिए कोई लिमिटेशन नही होती है। वादी अपने अधिकारों के लिए कभी भी वाद ला सकता है। वादी के अधिकार कानूनन रक्षित है तथा इस वाद में वादी के अधिकारो का फैसला होना है। प्रारम्भिक स्टेज पर वाद वादी खारिज नही किया जा सकता है। अतः प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र भारी कोस्ट पर खारिज फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

विद्वांन अभिभाषक वादी की बहस सुनी एवं अभिभाषक प्रतिवादी ने लिखित बहस प्रस्तुत की तथा अपने समर्थन में RRT 2015(2) पेश 1040 प्रस्तुत की ।

हमारे द्वारा विद्वांन अभिभाषको की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

वादी की अर्जून पुत्र बुधा जाति माली ने दिनांक 13.11.2014 को ग्राम कोटकासिम हाल आराजी खसरा नम्बर 1288/2672 रकबा 0.18 बीघा बाबत प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूध इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज व हुकमईम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 88, 89, एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वाद पत्र प्रस्तुत किया जिसमें प्रतिवादी द्वारा दिनांक 12.10.2014 को जबरन कब्जा करने व दिगर जगह मुन्तकिल करने की धमकी देना बताते हुए कॉज ऑफ एक्शन दिनांक 12.10.2014 होना बताया है जबकि राजस्व रिकॉर्ड मुताबिक आराजी हाल नम्बर 1288 रकबा 0.16 बीघा व 1288/2672 रकबा 0.18 बीघा पृथक–पृथक खाता है तथा आराजी नम्बर 1288 रकबा 0.16 बीघा वादीगण की व 1288/2672 रकबा 0.18 बीघा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की खातेदारी की है तथा वादी ने अपनी भूमि की दिनांक 01.10.2010 को पैमाईश कराई है तथा प्रतिवादीगण ने अपनी भूमि की दिनांक 15.06.2009 को न्यायालय के आदेश के तहत पत्थर गढ़ी कराई है। इस प्रकार पैमाईश/पत्थरगढ़ी दिनांक को वादी को जानकारी होते हुए दिनांक 12.10.2014 को विवाद होना (कॉज ऑफ एक्शन होना) प्रमाणित नही होता है। प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के तहत मुख्य कथन हैं, कि राजस्व रिकॉर्ड का ज्ञान वादी को दिनांक 01.10.2010 को पैमाईश कराई उसी समय से रहां है जबकि कानूनन ज्ञान से तीन साल के अन्दर'–अन्दर वाद लाया सकता है। वादी का वाद मियाद बाहर होने के कारण खारिज योग्य है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत तृतीय अनुसूची अनुसार हुकमइम्तनाई दवामी बाबत जानकारी की दिनांक से वाद प्रस्तुत करने की मियाद तीन साल है। वादी द्वारा मियाद के बिन्दु पर गलत तथ्य अंकित कर वाद प्रस्तुत किया है।

अतः प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व सपठित धारा 151 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर वादी का मूल वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दफतर दाखिल हो।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 20/7/2018 को सरे इजलास सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner